जम्मू-कश्मीर हादसा : सीआरपीएफ जवान समेत चार लोगों की हुई मौत

किश्तवाड़ में तैनात था जवान, हादसे के वक्त छुट्टी पर मध्य प्रदेश अपने घर जा रहा था

जम्मू, 27 जनवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में मंगलवार को एक बस ने खड़े मालवाहक वाहन और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में सीआरपीएफ के एक जवान समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखानी-चेनानी इलाके के पास पूर्वाह्न करीब 11 बजे हुई।

अधिकारियों के अनुसार बस डोडा से जम्मू की ओर जा रही थी। उसी दौरान चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा जिससे वह पहले एक मोटरसाइकिल से टकरायी और फिर एक खड़े मालवाहक वाहन से जा भिड़ी। जिस समय हादसा हुआ, मालवाहक वाहन खराब था और एक मैकेनिक उसकी मरम्मत कर रहा था।

> *अधिकारियों* ने बताया कि दुर्घटना जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखानी-चेनानी इलाके के पास पूर्वाह्न करीब 11 बजे हुई।

अधिकारियों के अनुसार, मैकेनिक और मालवाहक वाहन के चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हादसे के दौरान बस में सवार दो यात्री उसकी आपातकालीन खिड़की से बाहर गिर गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान उधमपुर के मैकेनिक संजीव कुमार, बडगाम के रईस अहमद और सीआरपीएफ जवान मुकेश प्रजापति के रूप में हुई है। मुकेश किश्तवाड़ में तैनात थे और छुट्टी पर मध्य प्रदेश स्थित अपने घर जा रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि बिमला देवी भी इस दुर्घटना में घायल हो गईं और उन्हें उधमपुर स्थित राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। इस बीच, यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के अपने अभियान के तहत जम्मू पुलिस ने क्षमता से अधिक सवारी बैठाए जाने पर बस के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एससी-एसटी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

बार काउंसिल की जनहित याचिकाओं पर नहीं किया जा सकता विचार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य बार काउंसिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति आर महादेवन तथा न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह याचिका देर से दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए इस तरह की मांग में बहुत देर हो चुकी है।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने विभिन्न राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए प्रतिनिधित्व जरूरी करने वाले शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं के वकीलों, जिनमें राम कुमार गौतम भी शामिल थे, ने तर्क दिया कि विभिन्न राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व पर आदेश जारी किए गए थे जबकि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आरक्षण या प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'आप हर जगह हैं। न्यायपालिका में, वकीलों के बीच, संसद में बार काउंसिल 1961 से है, और आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए कुछ किया, तो आप अब आ गए! आप बस इसे थाली में परोसा हुआ चाहते हैं। पहले के निर्देशों के दायरे पर स्पष्टीकरण देते हुए, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने महिला वकीलों को आरक्षण नहीं दिया, बल्कि लंबे समय से चली आ रहीं कम प्रतिनिधित्व की समस्या पर ध्यान देने के लिए उनके प्रतिनिधित्व को अनिवार्य किया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हमने महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया है।

> *प्रधान* न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति आर महादेवन तथा न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

उन्होंने यह भी कहा कि महिला वकीलों को दी गई राहत काफी समय तक लगातार चले वाद का नतीजा है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की इस बात के लिए आलोचना की कि वे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत में आए।

मेट्रो ट्रेन के अंदर 'ग्रैब हैंडल' से लटकते वरुण धवन का वीडियो वायरल

मुंबई, 27 जनवरी (भाषा)।

'बार्डर 2' फिल्म के अभिनेता वरुण धवन का मुंबई मेट्रो के एक कोच के अंदर लगे 'ग्रैब हैंडल' से लटकते हुए वीडियो वायरल होने के बाद मेट्रो अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि इस तरह के कृत्य नियमों के तहत दंडनीय हैं। महा मुंबई मेट्रो आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) ने कहा कि इस वीडियो के साथ वैसा ही 'डिस्क्लेमर' होना चाहिए था, जैसा आपकी एक्शन फिल्मों में होता है।

सोमवार को मेट्रो प्राधिकरण ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'महा मुंबई मेट्रो में ऐसा न करें। एमएमएमओसीएल ने कहा, 'वरुण धवन- इस वीडियो के साथ आपकी ऐक्शन फिल्मों जैसा डिस्क्लेमर होना चाहिए था। महा मुंबई मेट्रो में ऐसा करने की कोशिश न करें।' वीडियो में वरुण धवन मेट्रो कोच के अंदर 'ग्रैब हैंडल' पकड़कर लटकते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक अन्य यात्री उनकी नकल करता दिखता है और बाकी लोग उन्हें देखते रहते हैं। पोस्ट में एमएमएमओसीएल ने कहा कि मेट्रो कोच के अंदर लगे 'ग्रैब हैंडल' केवल सहारे के लिए होते हैं, लटकने के लिए नहीं। एमएमएमओसीएल ने कहा कि मेट्रो संपत्ति को नुकसान या यात्रियों को असुविधा पहुंचाने वाले कृत्य दंडनीय हैं।

पारिवारिक कलह में भाई-बहन ने जहर खाकर आत्महत्या की

बांदा, 27 जनवरी (भाषा)।

जिले में भाई-बहन ने कथित तौर पर पारिवारिक कलह के कारण एक नदी किनारे संदिग्ध परिस्थिति में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बबेरू के पुलिस क्षेत्राधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि खेत में काम कर रहे किसानों ने नरैनी कोतवाली क्षेत्र में बरछा पुल से करीब 100 मीटर दूर बागै नदी के किनारे एक युवक और एक युवती को सोमवार शाम अचेत अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों की पहचान नरैनी कस्बा के शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय आनंद प्रकाश गुप्ता और उनकी सगी बहन 34 वर्षीय चंचल गुप्ता के रूप में हुई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

मुंबई और नवी मुंबई हवाई अड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना को मंजूरी

मुंबई, 27 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल अवसंरचना समिति ने मुंबई और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना को मंगलवार को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना की लागत 22,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इस कारिडोर में 20 स्टेशन होंगे, जिनमें छह भूमिगत और 14 'एलिवेटेड' स्टेशन शामिल हैं।

> *इस* कारिडोर में 20 स्टेशन होंगे, जिनमें छह भूमिगत और 14 'एलिवेटेड' स्टेशन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 30.7 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण पर 388 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। अवसंरचना समिति ने 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन-8 परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 22,862 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और स्वीकृतियां छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाएं और निर्माण कार्य, स्वीकृतियों के तीन साल के भीतर पूरा कर लिया जाए।

बयान में बताया गया कि कुल 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन में से 9.25 किलोमीटर हिस्सा मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 से घाटकोपर पूर्व तक भूमिगत होगा और 24.63 किलोमीटर हिस्सा घाटकोपर पश्चिम से नवी मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 तक 'एलिवेटेड' होगा। फडणवीस ने नागपुर-गोंदिया और भंडारा-गडचिरोली मार्गों पर समृद्धि एक्सप्रेसवे के विस्तार में तेजी लाने व परियोजनाओं में देरी न होने के निर्देश दिए।

रेलवे के बजट में दो से तीन फीसद हो सकती है बढ़ोतरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जनवरी।

आगामी आम बजट में रेलवे की हिस्सेदारी में दो से तीन फीसद तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। भारतीय रेलवे को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 255445.18 करोड़ रुपए का बजट मिला था। यह साल 2024-25 के मुकाबले करीब 0.038 फीसद अधिक था। रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 के बजट का 80 फीसद से अधिक हिस्सा दिसंबर 2025 तक खर्च कर चुका है। यह खर्च सुरक्षा, क्षमता और आधुनिकीकरण पर केंद्रित रहा।

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी है तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणी/सह-ऋणी को राशि वापस करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था, अतः ऋणी और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आईआईएफएल एचएफएल के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि वहां उल्लेखित राशि के साथ ब्याज भी शामिल है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय आईआईएफएल एचएफएल की बकाया राशि को सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित चुका देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां जब्त नहीं की जाएंगी।

उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं) के नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री सुरजन, श्रीमती हना (प्रोस्पेक्ट नंबर आईएल10064486)	नरेला आवासीय योजना, दिल्ली-110040 के लेआउट प्लान में स्थित सेक्टर ए-6, ब्लॉक-5, पॉकेट 11 में दूसरी मंजिल पर स्थित निर्मित जनता फ्लैट संख्या 277, जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, का पूरा हिस्सा। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: सुपर-बिल्ट-अप एरिया, कारपेट एरिया, बिल्ट-अप एरिया। संपत्ति का क्षेत्रफल: 194.00, 176.00, 194.00। सीमाएँ: उत्तर: खुला, दक्षिण: खुला, पूर्व: खुला, पश्चिम: प्रवेश द्वार।	(रु.) 890484/- रुपये आठ लाख नब्बे हजार चार सौ चौरासी मात्र	26-07-2025	23-01-2026

अधिक जानकारी के लिए: कृपया शाखा कार्यालय: डी-11/151, दूसरी मंजिल, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 या कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टावर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28.01.2026

हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

नीट-पीजी उत्तर कुंजी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जनवरी।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 परीक्षा के प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजी को सार्वजनिक नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए मंगलवार को सहमति जताई।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने नीट-पीजी के प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक न करने की नीति के पीछे के तर्क पर संदेह जताया। पीठ ने कहा, हम इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेंगे। हमें अभी भी इसके लिए औचित्य की आवश्यकता है। हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हम इसकी पड़ताल करेंगे। न्यायालय नीट-पीजी की उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक करने के अनुरोध संबंधी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा कि उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक न करने की नीति का उद्देश्य इस 'राष्ट्रीय संपदा' की रक्षा करना और विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकना है।

एनबीईएमएस के खिलाफ दायर याचिका खारिज

प्रयागराज, 27 जनवरी (भाषा)।

> नीट-पीजी 2025 की परीक्षाओं में 800 अंकों में से माइनस 40 अंक पाने वाले एससी/एसटी/ओबीसी विद्यार्थियों को काउंसलिंग में बैठने की अनुमति देने के राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी।

आइआइटी दिल्ली के 65 हजार पूर्व छात्र समाज को बना रहे बेहतर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जनवरी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली के 65 हजार पूर्व छात्र समाज को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं। संस्थान के 68वें स्थापना दिवस के मौके पर जारी 'पूर्व छात्र प्रभाव' रपट में यह बात कही गई है। माइक्रोन टेक्नोलाजी के उपाध्यक्ष गुरतेज एस संधू शामिल रहे।

रपट में आइआइटी दिल्ली के 65000 से अधिक पूर्व छात्रों की उपलब्धियों और समाज, राष्ट्र तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को रेखांकित किया गया है। इसमें बताया गया है कि आज लगभग दस हजार आइआइटी दिल्ली के पूर्व छात्र बैंकिंग व वित्त, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग उद्योग में नेतृत्व पदों पर हैं। इनमें से 70 फीसद छात्र भारत में रहते हैं। एक हजार से ज्यादा पूर्व छात्र बड़े और अलग-अलग कार्पोरेट सिस्टम के बोर्डरूम में हैं।

सभी के सामने पहचान साबित करने की चुनौती : इमरान मसूद

सहारनपुर, 27 जनवरी (जनसत्ता)।

कांग्रेस के स्थानीय सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को कहा कि देश मे अजीबोगरीब हालत पैदा हो गये हैं और हर वर्ग के सामने अपनी पहचान साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। मसूद ने पत्रकारों से कहा कि देश मे अजीबोगरीब हालत पैदा हो गए हैं। नागरिक हो, तो नागरिकता साबित करो, मतदाता हो, तो वह साबित करो। और तो और, अगर आप धर्मगुरु हैं तो वह भी साबित कीजिए, शंकराचार्य हैं तो वह भी साबित कीजिए।

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का इससे बडा अपमान क्या हो सकता है। साधु-संतों के नाम पर राजनीति को खड़ा करने का काम करने वालों के शासन काल में सबसे ज्यादा अपमान साधु-संतो का हो रहा है। मसूद प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य की उपाधि का उपयोग करने को लेकर मेला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस का जिक्र कर रहे थे। गंगोत्री धाम हिंदुओं का पवित्र स्थल है, वहां पहले से ही कोई मुसलमान नहीं जाता, इसके बावजूद पहचान साबित करने जैसी शर्तें लगाकर समाज में जहर घोला जा रहा है।

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.)

(Please scan this QR Code to view the Offer Document)

your faith shall heal

Hannah Joseph Hospital
(Institute of Neurosciences & Trauma)

Hannah Joseph Hospital Limited

(formerly Hannah Joseph Hospital Private Limited)

Our Company was incorporated as "Hannah Joseph Hospital Private Limited" at Tamil Nadu as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated October 24, 2011, issued by the Registrar of Companies ("**ROC**"), Tamil Nadu, Chennai, Andaman and Nicobar Islands Subsequently, our Company was converted to a public limited company and the name of our Company changed to 'Hannah Joseph Hospital Limited' and a fresh certificate of incorporation dated July 29, 2022 was issued by the RoC, Chennai. The CIN of our Company is U74999TN2011PLC082860. For details in relation to changes in the registered office of our Company, see ***"History and Corporate Structure"*** on page no. 152 of the Red Herring Prospectus.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: Mosesjoseph Arunkumar, Fenn Kavitha Fenn Arunkumar, Arunkumar Nalina and Noyel Arunkumar

PRICE BAND: ₹ 67 TO ₹ 70 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH

ALLOCATION OF THE OFFER
QIB PORTION NOT MORE THAN 50% OF THE NET ISSUE • INDIVIDUAL INVESTOR PORTION NOT LESS THAN 35% OF THE NET ISSUE
NON-INSTITUTIONAL PORTION NOT LESS THAN 15% OF THE NET ISSUE • MARKET MAKER PORTION NOT LESS THAN 5% OF THE NET ISSUE

THE FLOOR PRICE IS 6.7 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 7 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON RESTATED DILUTED EPS FOR FISCAL 2025 AT THE FLOOR PRICE IS 15.51 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 16.2 TIMES. BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 4000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE ISSUE AVILABLE IN ANY MANNER.

CORRIGENDUM

ISSUE CLOSING DATE EXTENDED TO JANUARY 28, 2026 (WEDNESDAY)

This is with reference to the Red Herring Prospectus dated January 14, 2026, filed with the Registrar of Companies, Chennai (ROC). The issue opened for subscription on Thursday, January 22, 2026, and was originally scheduled to close on Tuesday, January 27, 2026. Investors are requested to note that a bank strike was called on Tuesday, January 27, 2026, which is likely to impact banking operations. Due to this, investors may face difficulties in submitting their bid applications on the closing day of the issue.

In view of the above and pursuant to Regulation 266(3) of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the issue closing date has been extended by one working day, i.e., up to Wednesday, January 28, 2026.

All other terms and conditions of the issue, as disclosed in the Red Herring Prospectus, unless the context otherwise requires, shall remain unchanged.

INDICATIVE TIMELINE FOR THE ISSUE

Bid/ Issue Program:

Events	Indicative Dates
Bid/Issue Opening Date	Thursday, January 22, 2026
Bid/Issue Closing Date	Wednesday, January 28, 2026
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange	On or about Thursday, January 29, 2026
Initiation of Allotment / Refunds / Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI ID linked bank account	On or about Friday, January 30, 2026
Credit of Equity Shares to Demat accounts of Allottees	On or about Friday, January 30, 2026
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchange	On or about Sunday, February 01, 2026*

**Kindly note that BSE Limited is working on Sunday, February 01, 2026.*

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section ***"Risk Factors"*** on page no. 26 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
CAPITALSQUARE® Teaming together to create value **CapitalSquare Advisors Private Limited** **Address:** 208, 2nd Floor, AARPEE Centre, MIDC Road No.11, CTS70, Andheri - East, Mumbai – 400093 (India) **Contact No:** 022 6684 9999/ 022 6684 9946 **Email:** mb@capitalsquare.in **Website:** www.capitalsquare.in **Contact Person:** Viveka Singhal / Pratima Keshari **SEBI Registration number:** INM000012219 **CIN:** U65999MH2008PTC187863	**Bigshare Services Private Limited** **Address:** Office no S6-2 ,6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093, Maharashtra, India **Contact No:** +91 – 22 – 6263 8200; **Email:** ipo@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact Person:** Mr. Vinayak Morbale **SEBI Registration number:** INR000001385 **CIN:** U99999MH1994PTC076534	Hannah Joseph Hospital (Institute of Neurosciences & Trauma) **Yuvaraj Saravanan** **Hannah Joseph Hospital Limited** 134, Lake View Road K. K. Nagar, Madurai, Tamil Nadu, India, 625020 **Tel. No:** +91- 9524729594 **Website:** https://hannahjosephhospital.com/ **E-mail:** cs@hannahjosephhospital.com Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non- credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

On behalf of Board of Directors
Hannah Joseph Hospital Limited
Sd/-
Mr. Mosesjoseph Arunkumar
Chairman and Managing Director

Place: Madurai, Tamil Nadu
Date: January 27, 2026

Disclaimer: Hannah Joseph Hospital Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated January 14, 2026 has been filed with the Registrar of Companies ("**ROC**"), Chennai. The Red Herring Prospectus is available on the website of the Book Running Lead Manager at www.capitalsquare.in the website of the BSE i.e., www.bseindia.com, and website of our Company at: https://hannahjosephhospital.com/.

Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 26 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state secures laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

KIRIN ADVISORS